ग्रा०वि०/06-LSBA/14-01/2025...45628 98...

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक-...04/07/2025

विषय : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण तथा इन कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश मद में प्राप्त राशि अपर्याप्त होने पर इसे राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किये जाने की स्वीकृति ।

"सक्षम बिहार–स्वाबलंबी बिहार" अंतर्गत सात निश्चय– 2 में लक्षित "स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव" के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 'खुले में शौच से मुक्ति' का स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा राज्य के सभी गांवों को ODF-Plus (संपूर्ण स्वच्छ) एवं इस की निरंतरता सुनिश्चित की जानी है। संपूर्ण स्वच्छता के लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G) एवं राज्य वित्त संपोषित लोहिया स्वच्छता योजना (LSY) को समेकित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का संचालन किया जा रहा है ।

2. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत मुख्यतः घर–घर से ठोस अपशिष्ट का उठाव, परिवहन एवं समुचित निष्पादन, नाली की सफाई, धूसर जल का निस्तारण, मलिन जल एवं मल युक्त कीचड प्रबंधन इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर 8,035 ई–रिक्शा एवं वार्ड स्तर पर 1,08,799 पैडल रिक्शा का उपयोग किया जा रहा है । ठोस अपशिष्ट के समुचित निष्पादन हेतु ग्राम पंयायत स्तर पर 6,902 अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई, प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु प्रखंड/अनुमंडल स्तर पर 168 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई, कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु गोबर–धन योजना अंतर्गत जिला स्तर पर 36

बायोगैस संयंत्रों का निर्माणोपरांत संचालन किया जा रहा है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित 01 लाख 77 हजार से अधिक सामुदायिक सोक पिट तथा 79,299 जंक्शन चैंबर इत्यादि से धूसर जल का प्रबंधन किया जा रहा है।

3. अभियान अंतर्गत लक्षित कार्यों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं समुचित संचालन में सहयोग हेतु संविदा के आधार पर राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार (CB&HR, SLWM, IEC, MLE&MIS)–4, राज्य वित प्रबंधक–1, परियोजना प्रबंधक (ODF-S Cell)–1, सलाहकार (SLWM,IEC&CB,Technical ODF-S Cell)–3, सलाहकार (PFMS & B)–2, लेखापाल–2, जिला स्तर पर सभी जिलों में 38 जिला समन्वयक, जिला सलाहकार (CB&IEC,SLWM,MLE&MIS)–114, प्रखंड स्तर पर 534 प्रखंड समन्वयक का पद स्वीकृत है। कुल स्वीकृत पद 699 के सापेक्ष 547 संविदा कर्मी वर्तमान में कार्यरत हैं।

4. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता, सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण एवं संचालन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों यथा–अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई, बायोगैस संयंत्र इत्यादि के संचालन एवं अनुरक्षण के साथ ही धूसर जल तथा मल युक्त कीचड. प्रबंधन के क्रियान्वयन तथा निर्मित परिसंपत्तियों के संचालन में उपरोक्त कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

5. बिहार सरकार (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) के संकल्प संख्या पी0एच0/बि0ज0स्व0मि0–107/2016–741, दिनांक 01.06.2016 द्वारा वर्ष 2016 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन का दायित्व (मानवबल सहित) ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया । साथ ही, ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 98/सी0 दिनांक 18.10.2016 के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन का दायित्व बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति–जीविका (BRLPS) को दिया गया ।

6. अभियान अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों की वर्ष 2016 से 2019 के बीच मानदेय में अन्य किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई । सर्वप्रथम वर्ष 2020 में मूल मानदेय में 5% वार्षिक वेतन वृद्धि निर्धारित की गयी । वर्ष 2016 से अबतक कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है ।

7. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत 547 संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि किये जाने के पश्चात् वार्षिक रूप से ई0पी0एफ0 सहित 31.23 करोड. (31 करोड. 23 लाख रूपये) रूपये का व्यय अनुमानित है । वर्तमान में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत 547 संविदा कर्मियों के मानदेय पर कुल वार्षिक व्यय 23. 06 करोड़ रुपये का व्यय होता है । इस प्रकार मानदेय वृद्धि किए जाने से कुल 8. 17 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय भार राज्य संसाधन पर पड़ेगा । इन संविदा कर्मियों के मानदेय एवं भत्तों में वृद्धि से संबंधित विवरणी एवं वार्षिक व्यय भार **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न है ।

8. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण अंतर्गत प्रशासनिक मद हेतु वार्षिक परियोजना व्यय का मात्र एक (1%) प्रतिशत राशि प्रावधानित है। प्रशासनिक मद की राशि से संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान के साथ–साथ अन्य प्रशासनिक व्यय (कार्यालय व्यय,वाहन आदि) का भी भुगतान किया जाता है। मानदेय में वृद्धि के उपरांत संशोधित व्यय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद (1%) में अपर्याप्त होने की स्थिति में शेष राशि की पूर्ति राज्य संसाधन से किया जाएगा ।

9. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के मानदेय में वृद्धि किये जाने की अनुशंसा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (BRLPS) की कार्यकारिणी समिति की बैठक में दिनांक–06.08.2025 को प्राप्त है ।

10. उपर्युक्त के आलोक में निम्न निर्णय लिए गए है:–

(क) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत संविदा कर्मियों यथा–राज्य स्तर पर सभी सलाहकारों, राज्य सलाहकारों, राज्य वित प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, लेखापाल, जिला स्तर पर जिला समन्वयक एवं जिला सलाहकारों तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक के मूल मानदेय में 30 प्रतिशत के वृद्धि की गई है ।

(ख) कर्मियों के बढ़े हुए मानदेय भुगतान हेतु योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश मद में प्राप्त राशि अपर्याप्त होने पर इसे राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किया जाएगा ।

11. इस पर दिनांक–02-09-2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं.–39 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 4562892 / पटना, दिनांक– 04/09/2025

प्रतिलिपि– ई–गजट कोषांग, वित्ति विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 100 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्धं करायी जाय ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 4562892 / पटना, दिनांक– 04/09/2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 4562892 / पटना, दिनांक– 04/09/2025

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व परिषद, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्याक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 4562892 / पटना, दिनांक– 04/09/2025

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग/बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

04/9/25

ज्ञापांक 4562892 / पटना, दिनांक– 04/09/2025

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

04/9/25